उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-19/2021/79647/10-24099/533/2021-3-
लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित मण्डल में स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-5 में उल्लिखित मण्डल का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम (सर्वश्री) | वर्तमान तैनाती का स्थान | स्थानान्तरण के उपरान्त तैनाती का स्थान | अतिरिक्त प्रभार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बृजेश कुमार दीक्षित, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी। | बस्ती मण्डल | वाराणसी मण्डल | आजमगढ़ मण्डल |
| 2. | योगेश वाजपेयी, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी | वाराणसी मण्डल | मेरठ मण्डल | -- |
| 3. | अरविन्द कुमार यादव, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी | देवीपाटन मण्डल | आगरा मण्डल | -- |
| 4. | नसीर अहमद, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी | गोरखपुर मण्डल | -- | बस्ती मण्डल |
| 5. | राजेश कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी | अयोध्या मण्डल | -- | देवीपाटन मण्डल |

2- सम्बन्धित अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3- उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-19/2021/79647/10-24099/533/2021-3-, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सतीश कुमार )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in